न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14 / 2022 नामांतरकरण अपील

1. कानजी पुत्र श्री सोन्या जाति माली निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. डाल्या उर्फ डालचन्द पुत्र सोन्या
2. घमण्डी पुत्र सोन्या
3. सान्तया उर्फ संतोष पुत्र सोन्या
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. तहसीलदार तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 14.07.1999 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सिकराय

उपस्थिति :—: श्री सी. एल. मीना अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 अनुपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 23.05.2025

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय में भूमि खसरा नम्बर 1254, 1255, 1257, 1258, 799, 1253, 1256, 789, 797 स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 746 / 2, 746 / 3, 746 / 2 मिन, 746 / 5, 424 / 2, 746 / 4, 746 / 1, 724 / 1, 424 / 3 है। उक्त आराजी पूर्व में अपीलान्ट के दादा पून्या की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। उक्त आराजी अपीलान्ट की पैतृक आराजी है। जिसमें अपीलान्ट के प्रारम्भ से ही हक अधिकार निहित है। अपीलान्ट के दादा पून्या की मृत्यू के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पिता सोन्या व उसके भ्राता रामनाथ के नाम खोला गया। अपीलान्ट का एक भाई कजोड रामनाथ के गोद चला गया तथा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी का नामान्तरकरण केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम ही खोला गया। जबकि अपीलान्ट भी सोन्या पुत्र पून्या का वारिस पुत्र है तथा उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा अपीलान्ट के हक में भी कानूनन उक्त आराजी का विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना न्यायोचित था, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने केवल मात्र अपने नाम ही नामान्तरकरण खुलवा लिया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 में से कोई भी उपस्थित नहीं आया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि नामान्तरकरण खोलते समय तहसीलदार सिकराय ने मृतक सोन्या पुत्र पून्या के जायज व जायन्दार वारिसानों की कोई जांच नहीं की। अपीलान्ट मृतक सोन्या का जायन्दा पुत्र होने से कानूनन उसका वारिस व उत्तराधिकारी है, किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण खोलते समय उसके वारिसानो की कोई जांच नहीं की व केवल उसके तीन पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण खोल दिया गया। [illegible] उक्त आराजी पर अपने पिता सोन्या के जीवनकाल से ही अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अपीलान्ट को कभी भी उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण [illegible] की कोई जानकारी नहीं हुई। कुछ दिनो पूर्व ही रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट को एलानियां कहा कि उक्त आराजी रिकॉर्ड में हमारे नाम है तथा हम अपने नाम की खातेदारी भूमि को रहन बय हस्तान्तरण करेंगे। जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड का मालूम किया तो उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण [illegible] अपीलान्ट को जानकारी हुई। नामान्तरकरण खोलते समय कब्जे की भी जांच नहीं की गई। अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना ही नामान्तरकरण खोल दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 14.07.1999 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:27 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण 993 ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा तहसीलदार सिकराय पर आदेश दिनांक 14.07.1999 तहसीलदार सिकराय द्वारा पारित किया जाकर मृतक सोन्या की विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में खोला गया है। जिसकी अपील लगभग 23 वर्ष बाद की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपील पेश किये जाने का कोई औचित्य पूर्ण कारण नहीं व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 14.07.1999 प्रश्नगत भूमि के खातेदार सोन्या पुत्र पून्या की विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय मृतक खातेदार सोन्या के सभी वारिसों के सम्बन्ध में जांच नही की जाकर विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 993 दिनांक 14.07.1999 ग्राम बहरावण्डा तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के मृतक खातेदार सोन्या पुत्र पून्या के विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 11:08:27 IST
Reason: SelfAttested